कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक–2555/727/आउशि/बजट/2008 भोपाल, दिनांक–01/08/08
प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(संलग्न कम्प्यूटर शीट अनुसार) मध्यप्रदेश

विषय–अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों और स्टेशनरी के निःशुल्क प्रदाय हेतु बजट आवंटन 2008–09

शासकीय महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति /जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठयपुस्तक और स्टेशनरी के प्रदाय हेतु योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए संलग्न कम्प्यूटर शीट अनुसार धनराशि एतद्द्वारा स्वीकृति की जाती है । बजट आवंटन की कम्प्यूटर शीट संलग्न भेजी जा रही है ।

2. विद्यर्थियों को पुस्तक और स्टेशनरी का निःशुल्क प्रदाय करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जावें :–

(क) **मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 1629/एफ.38/2 दिनांक 23.10.2007 के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति के** अध्ययनरत् **विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रति विद्यार्थी रू0 600/– के मूल्य** की स्नातकोत्तर **स्तर के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रू0** 800/– **के मूल्य की पुस्तकों** का प्रदाय **किया जावेगा । स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर दोनों स्तरों पर रू0 50/– प्रति विद्यार्थी की दर से स्टेशनरी का प्रदाय किया जावें ।**

(ख) इस योजना का लाभ महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को ही प्राप्त होगा ।

(ग) **विषयांकित योजनान्तर्गत प्रथमतः गतवर्ष की उपलब्ध पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित करें ।** तत्पश्चात् आवंटित राशि का उपयोग करें । छात्र संख्या के अनुपात में यदि आवंटित राशि कम पड़ती है तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दें एवं शेष हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग तत्काल भेजे ।

(घ) **महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषय/पाठ्यकमों की पुस्तकें ही कय की जावे ।** संबंधित महाविद्यालय मे कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ द्वारा लिखित पुस्तकें कय न की जावे

(ड.) आबंटित राशि का 50 प्रतिशत उपयोग संदर्भ पुस्तकें (Referance Book)कय करने में किया जावे ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र विद्यार्थी उच्च गुणवत्ता की पुस्तकों का अध्ययन कर लाभांवित हो सके ।

(च) स्टेशनरी और पुस्तकों के कय में भण्डार कय नियमों का पूर्णतः पालन किया जावें ।

निरन्तर.......

(छ) विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों स्टेशनरी और विद्यार्थी द्वारा इसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर सहित अभिलेख जिस पर प्रदाय करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी हो । विधिवत् संधारण किया जावेगा । उक्त अभिलेख समय-समय पर अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जावेगा । परीक्षा समाप्ति पर संबंधित विद्यार्थियों से पुस्तकें वापिस लेकर पुस्तकाल में विधिवत् रखी जावेगी ।

(ज) निःशुल्क पुस्तकों / स्टेशनरी के लिए अर्हताएं विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या को देखते हुए सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार ही किया जावें । आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किसी भी स्थिति में न किया जावें । यदि किन्ही कारणों से पिछले वर्ष की कुछ पुस्तके / स्टेशनरी उपलब्ध हो तो चालू वर्ष की मांग में से उपलब्ध सामग्री को कम करके शेष सामग्री क्रय की जावें । यहां सुनिश्चित करें कि सभी अर्ह विद्यार्थियों को सामग्री मिल जावें और कोई सामग्री शेष न रहें ।

(झ) क्रय करने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेने के पश्चात् जब राशि का वास्तविक भुगतान करना हो तभी इस ज्ञाप के द्वारा दिये जा रहे आवंटन में से आवश्यक राशि का आहरण कोषालय से किया जावें । क्रय की गई सामग्री का भुगतान संबंधित सस्था / फर्म को इसी वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनिवार्य रूप से कर दिया जावें । सामग्री प्रदायकर्ता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जावें ।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशियों का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जावें । जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है । मांग संख्या-64 की राशि का व्यय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर और मांग संख्या-41 का व्यय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों पर ही किया जावेगा । एक मांग संख्या से अन्य मांग संख्या में व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावें । किसी भी प्रकार के अनियमित आहरण/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी ।

4. **यदि आवश्यकता से अधिक धनराशि स्वीकृत हुई हो तो अतिरिक्त धनराशि अपने कोषालय के माध्यम से बी.सी.ओ. कोड 3802 में समर्पण कर आई.डी.क्रमांक एवं दिनांक से अवगत कराया जावे ।**

5. **इस योजना अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या आवश्यक विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 31/12/2008 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।**

उक्त बजट आवंटन आयुक्त कोष एवं लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड किया गया है ।

संलग्न-बजट आवंटन शीट

31.7.2008

आशीष उपाध्याय
आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0–2556/727/आउशि/बजट/2008 भोपाल, दिनांक– 01/08/08

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर
2 सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल
3 सचिव,मध्यप्रदेश शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल
4 संचालक,आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं सतपुडा भवन,भोपाल
5 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
6 समस्त संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश ।

......की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अतिरिक्त संचालक (बजट)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–2549/711/आउशि/बजट/08 भोपाल, दिनांक– 01/08/08

प्रति,

प्राचार्य,
नीचे सूची में दर्शाये,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय– विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर कय की अनुमति तथा बजट आवंटन ।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को फर्नीचर कय हेतु महाविद्यालयों के नामों के सामने दर्शायी धनराशि का आवंटन तथा कय करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

(राशि रूपयों में)

बजट शीर्ष –मांग संख्या–44–2202–03–103–0798–22–003 (फर्नीचर एवं कार्या0 उपकरण) कला/वाणिज्य तथा वाणिज्य महावि0 आयोजनेतर

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय का नाम	राशि
1.	शा0 महावि0 सावेर जि0 इंदौर	35000–00
2.	शा0 महावि0 देपालपुर जि0 इंदौर	35000–00
3.	शा0 महावि0 निर्भयसिंह पटेल इंदौर	35000–00
4.	शा0 महावि0 कन्या खंडवा	35000–00
5.	शा0 महावि0 सेंधवा जि0 बड़वानी	35000–00
6.	शा0 महावि0 कन्या मंदसौर	35000–00
7.	शा0 महावि0 गरोठ मंदसौर	35000–00
8.	शा0 कन्या महावि0 नीमच	35000–00
9.	शा0 महावि0 मनासा जि0 नीमच	35000–00
10.	शा0 महावि0 रामपुरा जि0 मंदसौर	35000–00
11.	शा0 महावि0 सैलाना जि0 रतलाम	35000–00
12.	शा0 एम.एल.बी. महावि0 ग्वालियर	35000–00
13.	शा0 नवीन कन्या महावि0 ग्वालियर	35000–00
14.	शा0 भगवत सहाय महावि0 ग्वालियर	35000–00
15.	शा0 कन्या महावि0 मुरार जि0 ग्वालियर	35000–00
16.	शा0 महावि0 मोहना जि0 ग्वालियर	35000–00
17.	शा0 महावि0 डबरा जि0 ग्वालियर	35000–00
18.	शा0 महावि0 सेवढ़ा जि0 दतिया	35000–00
19.	शा0 महावि0 भांडेर जि0 दतिया	35000–00
20.	शा0 कन्या महावि0 शिवपुरी	35000–00
21.	शा0 महावि0 पिछोर जि0 शिवपुरी	35000–00
22.	शा0 महावि0 करेरा जि0 शिवपुरी	35000–00
23.	शा0 महावि0 कोलारस जि0 शिवपुरी	35000–00

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय का नाम	राशि
24.	शा0 महावि0 पोहरी जि0 शिवपुरी	35000—00
25.	शा0 महावि कन्या गुना	35000—00
26.	शा0 बालक महावि0 चाचौड़ा जि0 गुना	35000—00
27.	शा0 कन्या महावि0 चाचौड़ा	35000—00
28.	शा0 महावि0 राघोगढ़ जि0 गुना	35000—00
29.	शा0 महावि0 आरोन जि0 गुना	35000—00
30.	शा0 महावि0 अशोकनगर	35000—00
31.	शा0 महावि0 चदेरी जि0 अशोकनगर	35000—00
32.	शा0 महावि0 मुगांवली जि0 अशोकनगर	35000—00
33.	शा0 कन्या महावि0 मुरैना	35000—00
34.	शा0 महावि0 सबलगढ़ जि0 मुरैना	35000—00
35.	शा0 महावि0 जौरा जि0 मुरैना	35000—00
36.	शा0 महावि0 पोरसा जि0 मुरैना	35000—00
37.	शा0 महावि0 श्योपुरकला	35000—00
38.	शा0 स्नातको0 महावि0 भिण्ड	35000—00
39.	शा0 महावि0 मेहगांव जि0 भिण्ड	35000—00
40.	शा0 महावि0 अटेर जि0 भिण्ड	35000—00
41.	शा0 महावि0 आलमपुर जि0 भिण्ड	35000—00
42.	शा0 महावि0 गोहद जि0 भिण्ड	35000—00
43.	शा0 महावि0 नईगढ़ी जि0 रीवा	35000—00
44.	शा0 महावि0 नागोद जि0 सतना	35000—00
45.	शा0 महावि0 जैतवारा जि0 सतना	35000—00
46.	शा0 महावि0 वीरसिंहपुरपाली जि0 उमरिया	35000—00
47.	शा0 महावि0 महाराजपुर जि0 छतरपुर	35000—00
48.	शा0 महावि0 बीजावर जि0 छतरपुर	35000—00
49.	शा0 महावि0 बड़ामहलरा जि0 छतरपुर	35000—00
50.	शा0 महावि0 देवेन्द्रनगर जि0 पन्ना	35000—00
51.	शा0 महावि0 अमानगंज जि0 पन्ना	35000—00
52.	शा0 महावि0 अजयगढ़ जि0 पन्ना	35000—00
53.	शा0 महावि0 पलेरा जि0 टीकमगढ़	35000--00
54.	शा0 महावि0 जतारा जि0 टीकमगढ़	35000—00
55.	शा0 महावि0 गैरतगंज जि0 रायसेन	35000—00
	योग	19,25,000—00

(रू0 उन्नीस लाख, पच्चीस हज़ार) मात्र

(ब) बजट शीर्ष– मांग संख्या–44–2202–05–103–6066–22–003 (फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण) संस्कृत महाविद्यालय–आयोजनेतर

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय का नाम	राशि
1.	शा0 संस्कृत महावि0 ग्वालियर	15000–00
2.	शा0 संस्कृत महावि0 रीवा	15000–00
3.	शा0 संस्कृत महावि0 खजूरीताल	14000–00
4.	शा0 संस्कृत महावि0 भितरी	15000–00
5.	शा0 संस्कृत महावि0 कल्याणपुर	15000–00
6.	शा0 संस्कृत महावि0 देवेन्द्रनगर	11000–00
	योग	**85000–00**

(रू0 पिचासी हज़ार)

(स) बजट शीर्ष–मांग संख्या–41–2202–03–103–4401–0102–22–003 (फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय का नाम	राशि
1.	शा0 कन्या महावि0 बड़वानी	35000–00
2.	शा0 महावि0 निवाली जि0 बड़वानी	35000–00
3.	शा0 महावि0 राजपुर जि0 बड़वानी	35000–00
	योग	**105000–00**

(रू0 एक लाख पांच हज़ार) मात्र

2. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के क्रमांक–सीआर/529/118/बी–3 दिनांक 8.7.2008 द्वारा शिक्षण संस्थाओं में फर्नीचर की आवश्यकता के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है
3. उपरोक्त आवंटित राशि का आहरण एवं व्यय दर्शाये गये बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में विकलनीय होगा ।
4. व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / भण्डार क्रय नियमों का पूर्णत पालन सुनिश्चित किया जावें ।
5. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय /भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी ।
6. यदि किसी कारण से आवंटित राशि से बचत की संभावना हो तो कृपया तत्काल कोषालय के माध्यम से बी.सी.ओ. कोड 3802 में राशि समर्पित करे एवं आई.डी. क्रमांक/दिनांक से अवगत करावें ।
7. उपरोक्त आवंटन आयुक्त कोष एवं लेखा के सर्वर पर लोड करा दिया गया है । लोड किये गये आवंटन की जानकारी /आई.डी.क्रमांक विभागीय वेबसाईट पर देखी जा सकती है ।

<u>आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित</u>

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक–2559 / 717 / बजट / 08 भोपाल, दिनांक– 04/08/08

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश ।

विषय– वर्ष 2007–08 में अतिथि विद्वानों के लंबित मानदेय भुगतान हेतु बजट आबंटन वर्ष 2008–09

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम समक्ष अंकित राशि की वित्तीय वर्ष 2007–08 के अतिथि विद्वानों के लंबित मानदेय भुगतान हेतु वर्ष 2008–09 में भुगतान करने की अनुमति एवं बजट आबंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है :–

क्र0	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	पत्र क0 दिनांक	स्वीकृत राशि
1	GOVT GIRLS COLLEGE	Chhatarpur	Chhatarpur	514/18.7.08	26400
2	GOVT P G COLLEGE	Damoh	Damoh	12.18.7.08	16400
3	GOVT KUSUM COLLEGE	Seonimalwa	Hoshangabad	E-mai; 21-7-08	19100
4	GOVT COLLEGE	Nainpur	Mandla	18.18.7.08	260300
5	GOVT SANSKRIT COLLEGE	Devendranagar	Panna	226.29.4.08	36800
6	NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE GOVT COLLEGE	Biora	Rajgarh	56.26.4.08	36300
7	GOVT SHAHID KEDARNATH P G COLLEGE	Mauganj	Rewa	787/18.7.08	400000
8	GOVT COLLEGE	Raipurka:chul.	Rewa	598/30.6.08	20300
9	GOVT COLLEGE	Banda	Sagar	251.14..7.08	71800
10	GOVT GIRLS COLLEGE	Bina	Sagar	209/18.7.08	8700
11	GOVT GIRLS P G COLLEGE	Sagar	Sagar	1510/0824.7.08	103800
12	GOVT GIRLS COLLEGE	Sehore	Sehore	E=386-18-7-08	6100
13	GOVT COLLEGE	Barghat	Seoni	E-mai; 21-7-08	20800
14	GOVT COLLEGE	Sheopurkala	Sheopurkala	E-mail/18-7-08	236000
15	GOVT CHHATRASAL COLLEGE	Pichhore	Shivpuri	E-477-18-7-08	149200
	Total				**1412000**

निरन्तर–

(1) उपरोक्त राशि का आहरण एवं व्यय मांग संख्या–44–2202–03–104–7143–9999 (जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु)आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के बजट से विकलनीय होगा ।

(2) यह सुनिश्चित कर लें कि स्व–वित्तीय योजना अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है ।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि में से यदि किन्हीं कारणों से बचत की संभावना हो तो उसे वर्ष 2008–09 में आवश्यकता पड़ने पर राशि आहरित करें अथवा कार्यालय के बी.सी.ओ.कोड 3802 में समयावधि में कोषालय के माध्यम से समर्पण करें ।

(4) यह सुनिश्चित करें कि उक्त भुगतान स्वीकृत रिक्त पदों पर की आमंत्रित अतिथि विद्वानों के लिए प्रथम बार है ।

(5) उक्त आबंटन आयुक्त कोष–लेखा के सेंट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है । मानदेय राशि भुगतान आदि के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक 2560/717/बजट/08, भोपाल,दिनांक 04/08/08

प्रतिलिपि :–

3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश
4. संबंधित कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक-2510/727/बजट/07 भोपाल, दिनांक- 18/7/08

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय-शैक्षणिक सत्र 2008-09 हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें क्रय करने प्रस्ताव संबंधी ।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र कमांक 2166/727/बजट/08 दिनांक 12.5.2008 एवं स्मरण पत्र कमांक 2410 दिनांक 26.6.2008

आयुक्त, उच्च शिक्षा से चर्चानुसार उपर्युक्त विषय में संदर्भित पत्रों द्वारा जारी दिशा निर्देश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं । कृपया शैक्षणिक सत्र 2008-09 हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें क्रय संबंधी दिशा निर्देश पृथक से शीघ्र जारी किये जावेगे ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0-2511/727/बजट/07 भोपाल, दिनांक- 18/7/08

प्रतिलिपि-

1. संचालक, हिन्दी ग्रंथ अकादमी बाणगंगा भोपाल ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–2551/711/~~409~~/आउशि/बजट/08 भोपाल, दिनांक– 01/08/08

प्रति,

प्राचार्य,
नीचे सूची में दर्शाये,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय– **विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर क्रय की अनुमति तथा बजट आवंटन ।**

वित्तीय वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाना है । इस हेतु विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर (कुर्सी, टेबिल) क्रय हेतु महाविद्यालय के नाम के सम्मुख राशि एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है:–

(राशि रूपयों में)

बजट शीर्ष –मांग संख्या–44–2202–03–103–0798–22–003 (फर्नीचर एवं कार्या0 उपकरण)
कला/वाणिज्य तथा वाणिज्य महावि0 आयोजनेतर

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय का नाम	राशि
1.	शा0 महावि0 आष्टा जि0 सीहोर	50,000–00
2.	शा0 महावि0 नसरूल्लागंज जि0 सीहोर	50,000–00
3.	शा0 महावि0 अमरवाड़ा जि0 छिन्दवाड़ा	50,000–00
4.	शा0 कन्या महावि0 रायसेन	45,000–00
	योग	**1,95000–00**

(राशि रू0 एक लाख, पिंचानवे हज़ार) मात्र

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के क्रमांक–सीआर/529/118/बी–3 दिनांक 8.7.2008 द्वारा शिक्षण संस्थाओं में फर्नीचर की आवश्यकता के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
2. उपरोक्त आवंटित राशि का आहरण एवं व्यय दर्शाये गये बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में विकलनीय होगा ।
3. व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / भण्डार क्रय नियमों का पूर्णत पालन सुनिश्चित किया जावें ।
4. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय /भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी ।
5. यदि किसी कारण से आवंटित राशि से बचत की संभावना हो तो कृपया तत्काल कोषालय के माध्यम से बी.सी.ओ. कोड 3802 में राशि समर्पित करे एवं आई.डी. क्रमांक/दिनांक से अवगत करावें ।
6. उपरोक्त आवंटन आयुक्त कोष एवं लेखा के सर्वर पर लोड करा दिया गया है । लोड किये गये आवंटन की जानकारी /आई.डी.क्रमांक विभागीय वेबसाईट पर देखी जा सकती है ।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश